न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
252/2019 (RCMS 2019/00054)	04.07.2019	11.10.2019

अनवान

मेसर्स संस्कृति रिट्रीट प्रा0लि0 चित्तौड़गढ़ जरिये निदेशक

1. विनीत पिता महेशनारायण जाति लड्ढा आयु वयस्क निवासी कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
2. ललित पिता घनश्याम जाति खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति चन्दा पत्नि सुजानमल भडक्तिया आयु वयस्क निवासी पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्रीमति चन्दा पत्नि सुनीलकुमार जैन आयु वयस्क निवासी पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्रीमती अंगुरबाला जैन पत्नि प्रेमचंद जैन आयु वयस्क निवासी पन्नाधाय कॉलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ जरिये आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ जरिये अध्यक्ष नगर परिषद चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. नगर नियोजन विभाग अजमेर जरिये सचिव नगर नियोजन विभाग अजमेर जिला अजमेर।
7. नगर नियोजन विभाग चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव नगर नियोजन विभाग चित्तौड़गढ़ ।
8. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	प्रार्थीगण
	अधिवक्ता श्री गुलशेर अली	अप्रार्थी संख्या 1 से 3
	एक तरफा	अप्रार्थी संख्या 4 से 7
	पैरोकार सरकार	अप्रार्थी संख्या 8

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त अनवान का वादपत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत किया गया है जो ठोस आधारों पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु उसके निर्णय होने में समय लगने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी एक कम्पनी होकर प्रार्थी ने मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 378 जमाबंदी संवत् 2068–71 में निम्न आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 के सह खातेदारी में दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। जिसमें 1/2 हक व हिस्सा प्रार्थी का व शेष 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 से 27 का निहित होकर सहखातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिस पर प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 9 से 27 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसका विवारण निम्नानुसार है। खाता संख्या 378 आराजी संख्या 409 रकबा 0.10 हैक्टर आराजी संख्या 429 रकबा 0.05 हैक्टर आराजी संख्या 455 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 हैक्टर। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 के सह खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर आराजी संख्या 409 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गे0मू0 दर्ज रेकार्ड है जिस पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 409 के पूरब में विपक्षी संख्या 1 से 3 के आराजी संख्या 424 रकबा 0.36 हैक्टर भूमि सह खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी जिसका विपक्षी संख्या 1 ने 3 ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया व बंटवाडे अनुसार उक्त आराजीयात आराजी संख्या 3521/424 रकबा 0.12 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 3522/424 रकबा 0.12 हैक्टर विपक्षी संख्या 2 424 रकबा 0.12 हैक्टर विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज होकर किस्म परिवर्तन कराकर आबादी में दर्ज करवाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी विपक्षी संख्या 4 व 5 के कार्यालय में विचाराधीन है जिससे धारा 90 ए एलआर एक्ट की कार्यवाही होकर नामान्तरकरण संख्या 2114 दिनांक 23.11.2012 से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 4 के नाम पर दर्ज की जा चुकी है। जिसमें उक्त आराजीयात का विपक्षी संख्या 1 से 3 विपक्षी संख्या 4 व 5 के कार्यालय से आबादी का पट्टा प्राप्त करने पर आमादा है व उक्त पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 से 3 ने जो नक्शा प्रस्तुत किया वह विपक्षी संख्या 6 से 7 ने जो नक्शा स्वीकृत किया उक्त नक्शें में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपनी आराजीयात के बीचों बींच सडक 30 फीट दर्शाते हुए उक्त सडक को आराजी संख्या 409 जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 9 से 27 के सह खातेदारी की है तक स्वीकृत करवा दिया व उक्त नक्शें अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 की आराजीयात में से होकर आने जाने पर उतारू हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 के खातेदारी की आराजीयात पर किसी प्राकार का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 1 से 3 विपक्षी संख्या 4 से 8 जो सरकारी संस्थाए है जिससे मिली भगत कर अपनी आराजीयात में रास्ता अंकित कर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 की आराजी संख्या 409 को रास्ते के उपयोग उपभोग में लेने पर आमादा है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना आवश्यक हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है। न्याय साम्य सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। इसलिये न्याय साम्य सुविधा प्रार्थीगण के पक्ष में होकर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमें बाजी का सामना करना पडेगा। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण फरमाया जाकर मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ खाता संख्या 378 में दर्ज आराजी संख्या 409 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 विपक्षी संख्या 4 से 8 के सहयोग से आराजी संख्या 424 के बीचों बीच रास्ता कायम नहीं करे न ही आराजी संख्या 409 में जो कुंआ स्थित है उसे खुर्द–बुर्द ही करे न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 25.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है जो कि दिनांक 05.09.2019 को रिकार्ड पर लिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 7 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। जवाब प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। अप्रार्थीगण अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इनकार किया एवं निवेदन किया कि चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी कंपनी की होने एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 27 के खातेदारी में दर्ज होने जिसमें 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण का व शेष 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 से 27 तक का निहित होकर सहखातेदारी में दर्ज हो काबिज हो उपयोग उपभोग करते रहने का तथ्य वास्तविकता के विपरित है। प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 9 से 27 तक को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है। इसी मात्र आधारा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वाद वर्णित आराजी संख्या 409 रकबा 0.10 हैक्टर आराजी संख्या 429 रकबा 0.05 हैक्टर एवं आराजी संख्या 455 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि में विपक्षी संख्या 1 भी सह खातेदार होकर भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही है। इस तथ्य को प्रार्थीगण ने छिपाया हैं। विपक्षी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2018 से उक्त वर्णित आराजीयात में हिस्से को खरीदा और उस खरीद के आधार पर सह खातेदार सह स्वामी व संयुक्त कब्जे में है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2826 दिनांक 15.07.2019 होकर जमाबंदी में अंकन हो चुका है। प्रमाण में उक्त विक्रय पत्र की प्रति व जमाबंदी संलग्न प्रत्युत्तर है। और इस प्रकार एक सह खातेदार को अन्य सह खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम पाने का कोई वैधानिक अधिकार विपक्षी संख्या 1 सह खातेदार को भी हैं इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्तनीय है। वर्णित आराजी संख्या 409 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ते की भूमि है और रास्ते के काम आ रही है। जो रेवेन्यू रेकार्ड में भी रास्ता दर्शाया हुआ है। विपक्षी संख्या 1 से 3 जो ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 424 रकबा 0.36 हैक्टर भूमि की खातेदार थी वो बाद बंटवाडा आराजी संख्या 3521/424 रकबा 0.12 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 से आराजी संख्या 3522/424 रकबा 0.12 हैक्टर विपक्षी संख्या 2 की एवं आराजी संख्या 424मी0 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम

दर्ज होकर रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात का रास्ता विपक्षी संख्या 1 की सह खातेदारी की आराजी संख्या 409 में होकर है जो आराजी संख्या 409 राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में अंकित चली आ रही है। आराजी संख्या 409 का मिलान खसरा भी संलग्न प्रत्युतार है जो सेंटलमेंट से पूर्व यह ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 426/2 मी0 थे जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित है। जब आराजी संख्या 409 रास्ते के रूप में ही है तो उस रास्ते का उपयोग से रोकने का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विधि एवं राजस्व रिकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 इसी रास्ते का उपयोग करने के पूर्ण रूप से काननून अधिकारी है। उनके विरूद्ध जारी एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारीज किये जाने योग्य है। अतः यह जवाब प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1, 2, 3 सादर प्रार्थना करती है कि विपक्षी संख्या 1, 2, 3 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम सव्यय खारीज फरमाया जावे।

दिनांक 09.10.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ एवं अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। अधिवक्ता अप्रार्थीगण में अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने अधिवक्ता अप्रार्थी के तथ्यों का खण्डन किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईल्तजा की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u> प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के 1/2 हक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्से के दर्ज अभिलिखित खातेदारान है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद के विवादित आराजीयात के हक हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दर्ज अंकित कराई गई जो कि इस प्रकार यह लिसपेंडेंसी का सिद्धांत अप्रार्थीगण पर लागु होता हैं। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 विवादित आराजीयात के सह खातेदारान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। जबकि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात की दर्ज अभिलिखत खातेदार है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का आराजीयात के प्रत्येक हिस्से पर अपने हक हिस्से अनुसार अधिकार निहित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जाकर है, चूंकि वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की ही है ऐसी स्थिति में जबकि उभयपक्षकारान विवादित आराजीयात के दर्ज अभिलिखित सहखातेदारान है एवं सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है जबकि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त कथन का खण्डन किया है और बताया है कि अप्रार्थीगण भी उक्त आराजीयात के सहखातेदार है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि विवादित आराजीयात का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>अपूरणीय क्षति</u> :– जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया है कि विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में सर्व जन हेतु किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सर्वजन का अपूरणीय क्षति होगी जो कि निर्विवाद रूप से सत्य है ऐसी स्थिति में अपूरणीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित कराये जाने में असफल रहे है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.07.2019 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है। एवं न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.07.2019 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 117/2019 अनवानी संस्कृति बनाम चंदा वगैराह के साथ हम किता रहें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक **11.10.2019** को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official